समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 07-04-2016 को प्रधान लिपिकों के कार्यो की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

(2) कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रधान सहायकों का बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिलाधिकारी द्वारा समाहरणालय, मधेपुरा के कार्यालय में आये हुए पत्रों का ससमय निष्पादन क्यों नहीं हो रहा है, पूछा गया।

(3) सामान्य शाखा :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा सामान्य शाखा के समीक्षा के क्रम में प्रधान लिपिक, श्री विजय कुमार झा की खोज की गयी। बताया गया कि अवकाश में हैं। जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं प्रधान लिपिक से वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा आगे से अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बिना चूक के उपस्थित होने का निदेश सभी संबंधित प्रधान लिपिकों को दी गयी।

(4) आपदा :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन के प्रधान लिपिक से लंबित पत्रों के बारे में पृच्छा की गयी। समर्पित किये गये प्रतिवेदन का अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि मात्र 10 पत्र ही लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त किया गया एवं लॉग-बूक में इन्ट्री होता है अथवा नही के जांच हेतु प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया।

➢ समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा ससमय कार्यो के निष्पादन नहीं होने के बारे में पृच्छा की गयी। बताया गया कि सभी कार्यालयों में लिपिकों के कमी होने के कारण ऐसी समस्या आ रही है।

➢ जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रधान लिपिकों को बताया गया कि प्राप्त पत्रों को मेरे द्वारा डाक में देखने के बाद संबंधित शाखा को भेजा जाता है, लेकिन वहां पर पत्रों को दबा दिया जाता है, संचिकास्त /निष्पादित हेतु संबंधित शाखा में नहीं भेजा जाता है।

➢ जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय अधीक्षक /प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को आगत पत्रों को कम्प्यूटर में इन्ट्री करवाने हेतु एक कम्प्यूटर सेट अधिष्ठापित करवाने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को दिया गया।

(5) सामाजिक सुरक्षा :-

➢ सामाजिक सुरक्षा से लंबित पत्रों की संख्या-05 प्रतिवेदन करने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं शत-प्रतिशत निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(6) राष्ट्रीय बचत :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय बचत शाखा के लिपिक की खोज की गयी। अनुपस्थित पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लिपिक का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को दिया गया।

(7) भविष्य निधि :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा भविष्य निधि के प्रधान लिपिक से लंबित मामलों के बारे में पृच्छा की गयी। बताया गया कि कुल 04 लंबित मामलों में से 01 मामला का निष्पादन कर दी गयी है।

(8) लोकायुक्त :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा लोकायुक्त शाखा में पत्र क्यों लंबित है पृच्छा की गयी। बताया गया कि 2008 में आये प्रलयंकारी बाढ़ में अभिलेख आदि बह गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रधान लिपिक को लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(9) जिला योजना :-

➢ बताया गया कि लंबित पत्रों की संख्या शून्य है।

(10) विकास शाखा :-

➢ विकास शाखा द्वारा समर्पित किये गये प्रतिवेदन में मात्र 10 पत्र लंबित दिखाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विकास शाखा में कम से कम 200 पत्रों को मेरे द्वारा भेजा गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्राप्त पत्र संचिका में उपस्थापित होना चाहिए। जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को विकास शाखा में प्राप्त पत्रों की जांच करने का निदेश दिया गया।

(11) विधि :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा किया गया कि 2015 के मामलें में अब तक दाखिल क्यों नहीं किया गया। जिलाधिकारी द्वारा 03 दिनों के अंदर संबंधित वाद में दाखिल करने का निदेश प्रधान लिपिक को दिया गया।

(12) मध्याहन भोजन योजना :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा वसूली के बारे में पृच्छा की गयी। जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई करने का निदेश प्रधान लिपिक को दिया गया।

(13) शिक्षा :-

➢ बताया गया कि 23 मामला लंबित है।

➢ सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा - जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि जनशिकायत का इतना मामला लंबित क्यों है ? निदेश दिया गया कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी की बैठक कर मामलों का निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

➢ समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 अब 01 जून, 2016 से लागू किया जाएगा।

(14) ग्रामीण कार्य प्रमण्डल :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा के प्रधान लिपिक से समर्पित कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात् पृच्छा की गयी कि सेवान्त लाभ में इतना मामला क्यों लंबित है। बताया गया कि स्व0 महेन्द्र प्र0 यादव तत्कालीन पथ बेलन चालक के कब्जे में रोलर था। रोलर को समर्पित नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा रोलर की कीमत तय कर उसके सेवान्त लाभ में मिलने वाली राशि से काट कर भुगतान करने का निदेश दिया गया।

➢ बाबरी अली (खानसामा) - इस कार्यालय के पत्रांक 1181, दिनांक 02-11-2015 द्वारा उनके पत्नी को वैध प्रमाण-पत्र समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है। बताया गया कि सबसे पहले अपनी पहली पत्नी को आश्रित में से हटाकर दूसरी पत्नी

को नामांकित किया गया। उसके बाद अपने पुत्र को आश्रित के रूप में नामांकित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन बनाकर विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

➢ महेन्द्र प्र0 गुप्ता – बताया गया कि सेवान्त लाभ दी जा चुकी है।

(15) निबंधन :–

➢ प्रधान सहायक की खोज की गयी। अनुपस्थित पाये जाने पर वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को दिया गया।

(16) प्र0लि0, चौसा प्रखण्ड :–

➢ चौसा प्रखण्ड के प्रधान लिपिक की खोज की गयी। अनुपस्थित पाये जाने पर वेतन स्थगित एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पत्र लंबित नहीं होना चाहिए। जांच /समीक्षा के क्रम में किसी शाखा में पत्रों के लंबित पाये जाने पर संबंधित लिपिक पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

(17) जनशिकायत :–

➢ जनशिकायत के लिपिक की खोज की गयी। अनुपस्थित पाये जाने पर वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को दिया गया।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी लिपिकों द्वारा अनुरोध किया गया कि कम्प्यूटर परीक्षा के कारण इन्क्रीमेन्ट लंबित है। जिलाधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र उपस्थापित किये जाने का निदेश स्थापना के प्रधान लिपिक को दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक....09............/गो0, मधेपुरा, दिनांक....11-04-2016.

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/4/16
जिलाधिकारी
मधेपुरा।